न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 161/2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 रूपाराम पुत्र लाखाराम जाति जाट निवासी बांकासर, सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।		1 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण 2 गुलाराम 3 जेठाराम पिसरान लाखाराम 4 बनाराम पुत्र दौलाराम 5 मीरोदेवी पत्नी लाखाराम 6 रेखाराम पुत्र दौलाराम 7 सोनाराम पुत्र लाखाराम जाति जाट निवासी बांकासर, सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1 श्री बांकाराम चौधरी, वकील प्रार्थीगण।

2 पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 14/08/23

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 02 से 07 की खातेदारी का खेत मौजा बांकासर पटवार हल्का सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1012/873 रकबा 01.0036 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 07 का कब्जा काश्त है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 07 द्वारा मूल खसरा संख्या 873 में से 0.1619 हैक्टेयर अर्थात 01.00 बीघा भूमि सार्वजनिक हित में राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर दी गई थी, जिस पर तहसीलदार बाडमेर ने आदेश क्रमांक 272 दिनांक 27.12.2004 के द्वारा पटवरी हल्का को परिशिष्ठ 'अ' अनुसार नामान्तकरण करने हेतु आदेशित किया गया था। पटवरी हल्का द्वारा समर्पित भूमि खसरा संख्या 1011/873 की गलत स्थान पर तरमीम कर दी गई जबकि प्रार्थीगण ने खेत खसरा संख्या 873 में से संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में दर्शाये गये बरंग लाल के अनुसार समर्पित की गई थी, जिसके अनुसारा मौके पर खसरा संख्या 1011/873 विद्यमान है, तथा मौके के अनुसार समर्पित भूमि में तरमीम नही की गई। उक्त अंकन के पश्चात लट्ठा ट्रेस में तरमीम का अंकन करते समय राजस्व अधिकारियों द्वारा न तो प्रार्थी के कब्जे काश्त की जांच की और न ही लट्ठा ट्रेस तरमीम शुद्ध अंकित की गई, उक्त भौतिक तरमीम के विपरित तरमीम के अनुसार विवाद कीं स्थिति उत्पन्न होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बांकासर पटवार हल्का सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1011/873 रकबा 0.1619 हैक्टेयर अर्थात रकबा 01.00 बीघा भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में दर्शाये बरंग लाल के अनुसार के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ईकतरफा।

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 07 द्वारा मूल खसरा संख्या 873 में से 0.1619 हैक्टेयर अर्थात 01.00 बीघा भूमि सार्वजनिक हित में राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर दी गई थी, जिस पर तहसीलदार बाडमेर ने आदेश क्रमांक 272 दिनांक 27.12.2004 के द्वारा पटवरी हल्का को परिशिष्ठ 'अ' अनुसार नामान्तकरण करने हेतु आदेशित किया गया था। पटवरी हल्का द्वारा समर्पित भूमि खसरा संख्या 1011/873 की

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

गलत स्थान पर तरमीम कर दी गई जबकि प्रार्थीगण ने खेत खसरा ... संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में दर्शाये गये बरंग लाल के अनुसार समर्पित की गई थी, जिसके अनुसारा मौके पर खसरा संख्या 1011/873 विद्यमान है, तथा मौके के अनुसार समर्पित भूमि में तरमीम नही की गई। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बांकासर पटवार हल्का सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1011/873 रकबा 0.1619 हैक्टेयर अर्थात रकबा 01.00 बीघा भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में दर्शाये बरंग लाल के अनुसार के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश फरमावें। मजमे आम में तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक भू.अ./1054 दिनांक 21.07.2023 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि राजस्व रेकर्ड के अनुसार खातेदारान बनाराम लाखाराम रेखाराम पिसरान दौला कौम जाट द्वारा मौजा बांकासर पटवार हल्का सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 873 रकबा 07.04 बीघा भूमि में से 0.1619 हैक्टेयर अर्थात रकबा 01.00 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की थी जिस पर तहसीलदार बाडमेर के आदेश क्रमांक 270–272 दिनांक 27.12.2004 व आदेश क्रमांक राज/14/5434 दिनांक 10.11.2014 की पालना में दर्ज मौका बांकासर के नामान्तकरण संख्या 258 के अनुसार 01.00 बीघा भूमि खसरा संख्या 1011/873 रकबा 0.1619 हैक्टेयर राज्य सरकार के नाम दर्ज है। नामान्तकरण की पुश्त भाग पर अंकित तरमीम के अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम सही अंकित है लेकिन मौका स्थिति के अनुसार तरमीम गलत अंकित है। पूछताछ करने पर पाया गया कि खातेदारों द्वारा जब समर्पण हेतु नक्शा प्रस्तुत किया गया था तो अच्छी तरह से समझ में नही आया। प्रस्तावित करते समय प्रस्तावित नक्शा सही नही होने से वर्तमान तरमीम से खातेदारों की रहवासी ढाणी प्रभावित हो रही है। मौके पर उक्त खसरा संख्या 1011/873 में एक कोने में आंशिक भू–भाग पर उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन बना हुआ है। समर्पण करने वाले खातेदारों की सहमति व मौके पर निर्मित उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन के आधार पर संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' में बरंग हरा के अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। उक्त दुरूस्ती करने पर किसी भी खसरे का क्षैत्र पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2074–2077, नक्शों का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजों के मद्देनजर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मौजा बांकासर पटवार हल्का सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1012/873 रकबा 01.0036 हैक्टेयर भूमि व खातेदारों द्वारा समर्पित भूमि खसरा संख्या 1011/873 रकबा 0.1619 हैक्टेयर अर्थात 01.00 बीघा भूमि की तरमीम मौके के अनुसार नही है तथा मौके पर उप स्वास्थ्य केन्द्र बना हुआ है। नामान्तकरण की पुश्त भाग पर अंकित तरमीम के अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम सही अंकित है लेकिन मौका स्थिति के अनुसार तरमीम गलत अंकित है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण की रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त खसरा संख्या 1011/873 में एक कोने में आंशिक भू–भाग पर उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन बना हुआ है। समर्पण करने वाले खातेदारों की सहमति व मौके पर निर्मित उप स्वास्थ्य केन्द्र

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

भवन के आधार पर संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' में बरंग हरा के अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। वर्तमान तरमीम उभय पक्षों के कब्जा काश्त अनुसार नही होने से तथा अशुद्ध होने से वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ 'ब' में बरंग हरा के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बांकासर पटवार हल्का सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1012/873 रकबा 01.0036 हैक्टेयर भूमि व खातेदारों द्वारा समर्पित भूमि खसरा संख्या 1011/873 रकबा 0.1619 हैक्टेयर अर्थात 01.00 बीघा भूमि की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस में तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ठ "ब" में बरंग हरा के अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) करने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 14/08/23 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर